कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।

(प्रशासनिक अनुभाग)

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रांक 7356/Main(P)/Admin(A-3)/Allahabad दिनांकित 31.05.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद आगरा में स्थापित बार संघ द्वारा भी न्यायालय का समय प्रातः कालीन किये जाने की सहमति/अनुरोध पत्र के अनुक्रम में दिनांक 01.05.2024 से 30.06.2024 तक जनपद न्यायालय, आगरा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे), आगरा तथा बाह्य न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद, अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद व ग्राम न्यायालय, तहसील किरावली, एत्मादपुर, एवं बाह आगरा स्थित न्यायालयों का समय **प्रातः काल 07:00 से 01:00 बजे तक** तथा भोजनावकाश का समय **प्रातः 10:30 से 11:00 तक** एवं समस्त अनुभाग/कार्यालयों का समय **प्रातः काल 06:30 से 01:30 बजे तक** निर्धारित किया जाता है।

तदनुसार समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को सूचित किया जाये। समस्त बार संघ सूचित हो। जिलाधिकारी, आगरा, अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, आगरा एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)(व्यवहार), आगरा को भी सूचित किया जाये।

आदेश की एक प्रति पीठासीन अधिकारीगण, वाणिज्यिक न्यायालय, आगरा तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित की जाये तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, आगरा को निःशुल्क प्रकाशनार्थ भेजी जाये।

नोडल आफिसर, कम्प्यूटर इस आदेश को जनपद न्यायालय, आगरा की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। माननीय उच्च न्यायालय सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांकः 18 अप्रैल, 2024

18.04.2024

(विवेक संगल)
जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

Scanned with CamScanner